भाग–I

अध्याय I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

1. परिचय

1.1 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। पीएसयूज के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं राजस्थान के जीएसडीपी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं राजस्थान के जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
टर्नओवर	29680.74	36523.38	42663.02	48768.95	55605.46
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	17.68	23.05	16.81	14.31	14.02
राजस्थान की जीएसडीपी	551031.00	615695.00	683758.00	759235.00	840263.00
जीएसडीपी में पिछले वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	11.77	11.74	11.05	11.04	10.67
टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी से प्रतिशत	5.39	5.93	6.24	6.42	6.62

स्रोतः राजस्थान सरकार के 2017-18 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार तथा कार्यरत पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं जीएसडीपी के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

इन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर में गत वर्षों में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। 2013-18 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि 14.02 प्रतिशत एवं 23.05 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में राजस्थान के जीएसडीपी में वृद्धि 10.67 प्रतिशत एवं 11.77 प्रतिशत के मध्य रही। जीएसडीपी की पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर[1] 11.25 प्रतिशत रही।

---

1 वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर [[{(2017-18 का मूल्य/2012-13 का मूल्य)^(1/5 वर्षों)}-1]*100] जिसमें 2012-13 के लिए टर्नओवर एवं जीसडीपी क्रमशः ₹ 25220.61 करोड़ एवं ₹ 493007 करोड़ है।

वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 11.25 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि के विरूद्ध ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का टर्नओवर में पिछले पांच वर्षों के दौरान 17.13 प्रतिशत की अधिक वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर्ज की गई । इससे जीएसडीपी में इन पीएसयूज के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2013-14 में 5.39 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 6.62 प्रतिशत हो गई।

1.2 *ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों का गठन*

राज्य सरकार ने राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम 1999 (आरपीएसआरए 1999) को अधिनियमित (जनवरी 2000) किया, जिसमें अन्य बातो के साथ-साथ विद्युत उद्योग के पुर्नगठन एवं राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की शक्तियों, कर्त्तव्यों एवं कार्यो को राज्य सरकार को एक या अधिक ऊर्जा क्षेत्र कम्पनियों को हस्तान्तरण करने के लिए योजना तैयार करने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने तद्नुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) को विघटित करने के लिए राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार हस्तान्तरण योजना 2000 (आरपीएसआरटी योजना 2000) बनायी (19 जुलाई 2000) एवं आरएसईबी की परिसम्पत्तियाँ, सम्पत्तियाँ, दायित्व, कार्यवाहियाँ एवं कर्मचारी पाँच ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ *(अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)* को हस्तान्तरित कर दी। ये पाँच ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ 19 जुलाई 2000 को अस्तित्व में आई एवं आरएसईबी की सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ (₹ 1775 करोड़[2] की पूँजी एवं ₹ 1398 करोड़[3] की आरएसईबी की संचित हानियाँ सहित) आरपीएसआरटी योजना 2000 के प्रावधानों के अनुसार इन कम्पनियों के मध्य विभाजित की गईं। राज्य सरकार ने 2002-03 एवं 2015-16 में दो अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ अर्थात *राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल पूर्व में राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)* एवं *राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड* क्रमशः ₹ 3.65 करोड़ एवं ₹ 50 करोड़ की पूँजी निवेश करके निगमित की। 2015-16 के दौरान एक अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनी अर्थात राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड (आरआरवीवीवीएनएल) को भी निगमित किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने 2017-18 तक इस कम्पनी में कोई पूँजी निवेश नहीं किया। इन आठ कम्पनियों के अतिरिक्त, सात[4] अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों को आरआरवीपीएनएल/

---

2 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 150 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 140 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 120 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 440 करोड़) और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 925 करोड़)।

3 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 906 करोड़) और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 492 करोड़)।

4 बांसवाडा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (7 अगस्त 2008), बाडमेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (5 जुलाई 2010), केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (17 सितम्बर 2010), छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (22 नबम्बर 2006), धोलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (22 नवम्बर 2006), गिरल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (1 जनवरी 2009) और राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (12 जनवरी 2012)।

आरआरवीयूएनएल/आरआरईसीएल की सहायक कम्पनियों के रूप में (नवंबर 2006 से जनवरी 2012 तक) निगमित किया गया था। इस प्रकार, 31 मार्च 2018 को राज्य में 15 ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां थीं। इन 15 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में से छः[5] कम्पनियों ने 2017-18 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

1.3 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान तीन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों, बाड़मेर ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड, हाड़ौती ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड एवं थार ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड का स्वामित्व नियंत्रक कम्पनी (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) एवं अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, एक निजी कम्पनी के बीच शेयर खरीद समझौते के तहत हस्तांतरित (अगस्त 2017) किया गया। इसके अलावा, दो बिजली क्षेत्र के उपक्रमों, पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड एवं लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड को भंग (अगस्त 2017) कर दिया गया था एवं 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, जयपुर द्वारा कम्पनीज रजिस्टर से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (5) के तहत इन कम्पनियों का नाम काट दिया ।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4 31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधि-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
विद्युत का उत्पादन	5	10104.54	23582.73	33687.27
विद्युत का प्रसारण	4	4270.88	10301.96	14572.84
विद्युत का वितरण	3	27450.58	41454.67	68905.25
अन्य[6]	3	50.05	-	50.05
कुल	**15**	**41876.05**	**75339.36**	**117215.41**

स्रोतः पीएसयू से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

5 बांसवाडा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, बाडमेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड, धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड, केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड और आरआरवीवीवीएनएल

6 तीन विद्युत क्षेत्र के उपक्रम यथा राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड राज्य में सोलर पार्क के प्रबंधन व ढांचागत विकास, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड राज्य की तीन डिस्कॉम्स के लिये ऊर्जा व्यापार करने तथा आरआरवीवीवीएनएल को राज्य के वितरण लाईसेंसी के लिये राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के लिये अन्य गतिविधियों में शामिल किया गया है क्योंकि इन उपक्रमों की गतिविधियाँ उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण में शामिल नहीं होती हैं।

31 मार्च 2018 तक, 15 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 117215.41 करोड़ था। निवेश में पूँजी 35.73 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 64.27 प्रतिशत शामिल थे।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 44.07 प्रतिशत (₹ 33204.48 करोड़) था जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण 55.93 प्रतिशत (₹ 42134.88 करोड़) था। यद्यपि, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना[7] (उदय) के अंतर्गत डिस्कॉम्स के 30 सितम्बर 2015 के कुल बकाया ऋणों (₹ 83229.89 करोड़) में से ₹ 62421.96 करोड़ (75 प्रतिशत) का अधिग्रहण कर लिया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 राजस्थान सरकार (जीओआर) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों का, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिस्ति ऋण एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय व्यय का विवरण का सारांश निम्नानुसार हैं:

तालिका 1.3: वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के बारे में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[8]	2015-16		2016-17		2017-18	
	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
पूँजी की जावक (i)	5	8438.82	6	4115.71	5	849.92
दिये गये ऋण(ii)	4	36147.62	4	11903.83	1	341.56
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	6	5175.99	4	14576.36	4	23434.55
कुल जावक (i+ii+iii)	6[9]	49762.43	7[9]	30595.90	6[9]	24626.03
अपलिस्ति ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	3	995.00	-	-	3	3000.00
निर्गमित गारंटियाँ	5	16132.96	5	23313.85	5	15283.10
गारंटी प्रतिबद्धता	5	45702.82	5	43218.50	5	53246.68

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/ सब्सिडी में बजटीय जावक का विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दिया गया हैं:

7 डिस्कॉम्स के वित्तिय एवं प्रचालन परिवर्तन के लिये ऊर्जा मंत्रालय एंव भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना।

8 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

9 यह संस्था ऐसी कम्पनियों की संस्था को दर्शाती है जिन्होंने राज्य बजट से जावक एक या एक से अधिक मदों में प्राप्त की है यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

चार्ट 1.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता

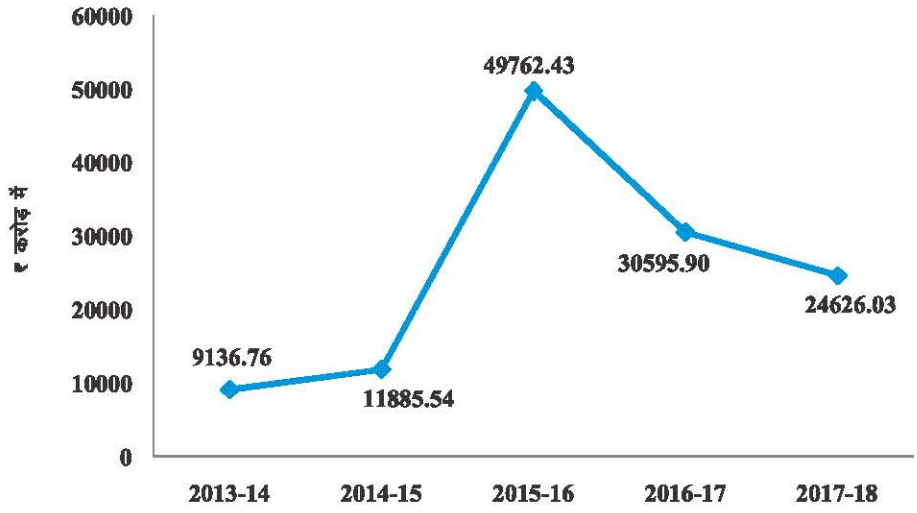

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन सार्वजनिक उपक्रमों को वर्ष के दौरान प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 9136.76 करोड़ एवं ₹ 49762.43 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त ₹ 24626.03 करोड़ की बजटीय सहायता में पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रुप में क्रमशः ₹ 849.92 करोड़, ₹ 341.56 करोड़ एवं ₹ 23434.55 करोड़ शामिल थे। इसके अलावा, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के प्रचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिये उदय योजना प्रारंभ (20 नवम्बर 2015) की। उदय योजना के प्रावधानों एवं तीन डिस्कॉम्स के द्वारा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की चर्चा इस अध्याय के अनुच्छेद 1.20 के अंतर्गत की गई है। उदय योजना के अंतर्गत 2017-18 के दौरान बकाया ऋण की ₹ 3000 करोड़ की राशि पूँजी में परिवर्तित की गई। इस प्रकार, 2017-18 के दौरान उदय योजना के तहत, ऊर्जा क्षेत्र की तीन वितरण कम्पनियों की पूँजी में ₹ 3849.92 करोड़ का समावेश, नकद प्रेरण (₹ 849.92 करोड़) एवं ऋणों के रूपांतरण (₹ 3000 करोड़) के माध्यम से हुआ था। पूँजी में वृद्धि मुख्य रूप से पूँजी निवेश एवं विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन के द्वारा थी। इसके अलावा, पिछले वर्ष (₹ 14576.36 करोड़) की तुलना में वर्ष 2017-18 (₹ 23434.55 करोड़) के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी/अनुदान में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान यह मुख्य रूप से उदय योजना के तहत डिस्कॉम्स को सहायता (₹ 12000 करोड़), दरों में गैर संशोधन हेतु (₹ 8759.14 करोड़) एवं विद्युत कर के लिए अनुदान (₹ 2613.14 करोड़) की वृद्धि के कारण था।

राजस्थान सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजस्थान राज्य गारंटी अनुदान अधिनियम (आरएसजीजीआर) 1970 के तहत गारंटी प्रदान करती है। सरकार ने आरएसजीजीआर, 1970 के प्रावधानों के तहत बिना किसी अपवाद के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से पीएसयू द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन वसूल करने का फैसला (फरवरी 2011) किया। बकाया गारंटी प्रतिबद्धतायें 23.20 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹ 43218.50 करोड़ से 2017-18 में ₹ 53246.68 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-18 के दौरान पांच ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज द्वारा ₹ 416.64 करोड़ की गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

1.6 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के आंकड़े राजस्थान सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। यद्यपि पूँजी एवं बकाया गारंटी के आंकडे वित्त लेखों के समान है, ऋण के आंकड़ों में 31 मार्च 2018 को अंतर है, जिसकी स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.4: वित्त लेखों एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम का नाम	बकाया ऋण		अंतर
	वित्त लेखों के अनुसार	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार	
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	10627.07	10701.41	74.34
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	10277.40	10202.65	-74.75
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1236.37	884.43	-351.94
कुल अंतर			**501.03**

स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों एवं वित्त खातों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

आंकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से जारी है। अंतर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया । इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार एवं पीएसयूज को अंतर का समयबद्ध समाशोधन करना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खातों का प्रस्तुतिकरण

1.7 *ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता*

31 मार्च 2018 तक सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में 15 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम थे। वर्ष 2017-18 के लिए इन सभी कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 30 सितंबर 2018 तक वैधानिक आवश्यकता के अनुसार लेखे प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के खातों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	पीएसयूज की संस्था	15	15	17	20	15
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संस्था	16	19	17	21	15
3.	पीएसयूज की संस्था जिनके चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रुप दिया गया	10	14	16	20	15
4.	पिछले वर्ष के लेखों की	6	5	1	1	0

	संस्था जिनके लेखों को चालू वर्ष में अंतिम रुप दिया गया					
5.	पीएसयूज की संस्था जिनके लेखे बकाया हैं	5	1	1	0	0
6.	बकाया लेखों की संस्था	5	1	1	0	0
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष	-	-

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान कार्यरत पीएसयूज के प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां पिछले दो वर्षों से अपने वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने में तत्पर हैं।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.8 ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम 30 सितंबर 2018 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार **अनुबंध–1** में दिये गये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में 31 मार्च 2018 को निवेश की राशि ₹ 117215.41 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 41876.05 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 75339.36 करोड़ सम्मिलित थे। जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र के सात पीएसयूज में राजस्थान सरकार का निवेश ₹ 74710.18 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 41505.70 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 33204.48 करोड़ सम्मिलित थे।

राजस्थान सरकार का ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के निवेश की वर्षवार स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

चार्ट 1.2: राजस्थान सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश

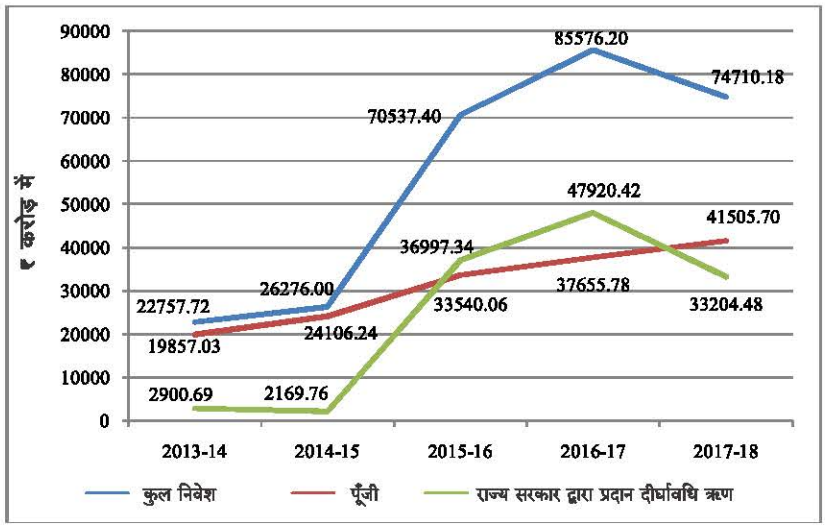

कम्पनी की लाभदायकता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं इसकी गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को

नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों से पश्चात के लाभों को शेयर धारको की निधि से विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

1.9 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान कार्यरत ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि[10] की समग्र स्थिति को एक चार्ट में नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित/उठाई गई लाभ/हानि

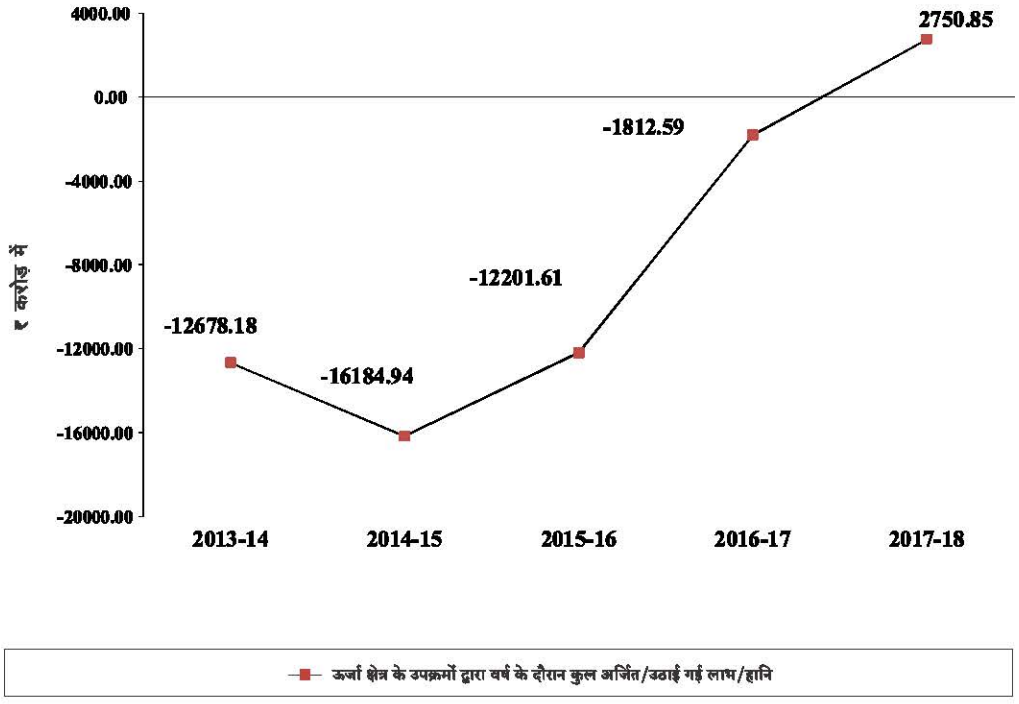

इन 15 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा 2013-14 में हुई ₹ 12678.18 करोड़ की हानि के विरुद्ध 2017-18 में अर्जित लाभ ₹ 2750.85 करोड़ था। इन 15 पीएसयूज के वर्ष 2017-18 के लेखों के अनुसार, सात पीएसयूज ने ₹ 2994.36 करोड़ का लाभ कमाया एवं चार पीएसयूज को ₹ 243.51 करोड़ की हानि हुई एवं चार पीएसयूज को मामूली नुकसान हुआ **(अनुबंध -1)**। शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियाँ में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1199.08 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 943.16 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 607.26 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण

10 आंकड़े संबंधित वर्ष के नवीनतम अंतिम लेखो पर आधारित है।

निगम लिमिटेड (₹ 195.71 करोड़) थी जबकि गिरल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (₹ 241.45 करोड़) को काफी हानि हुई थी।

2013-14 से 2017-18 के दौरान कार्यरत ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि की स्थिति

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किये गये पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाये गये पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान पीएसयूज की संख्या जिनकी मामूली लाभ/हानि थे
2013-14	13	3	8	2
2014-15	13	3	8	2
2015-16	15	3	8	4
2016-17	15	4	7	4
2017-18	15	7	4	4

(अ) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

1.10 राज्य के 15 ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से राज्य सरकार ने पूँजी, दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन का निवेश केवल सात पीएसयूज में किया है। राज्य सरकार ने अन्य आठ ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में कोई सीधे निवेश नहीं किया है जिनमें एक कम्पनी (आरआरवीवीवीएनएल) जिसमे की 2017-18 तक राज्य सरकार द्वारा कोई पूँजी निवेश नहीं किया गया था। तीन[11] ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की सात सहायक कम्पनियों में समस्त पूँजी संबंधित स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा प्रदत्त की गई थी।

पीएसयूज द्वारा निवेश पर प्रतिफल की गणना राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में सात पीएसयूज में किये गये निवेश के आधार पर की गई है। ऋण के संबंध में केवल ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है क्योंकि सरकार को इस प्रकार के ऋणों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है एवं इस प्रकार, ऋण की वापसी के उत्तरदायित्व के अतिरिक्त पुर्नभुगतान की नियम एवं शर्तों के अनुसार यह सरकार के द्वारा किये गये पूँजी निवेश के प्रकृति के है। आगे, अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिये गये धन को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वह निवेश मानने योग्य नहीं है। यद्यपि, वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को उदय योजना के अंतर्गत दी गई सब्सिडी को निवेश माना गया है जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी को बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों को चुकाने के लिए प्रदान की गई थी। अतः ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य (पीवी) के आधार पर निवेश की प्रतिफल की तुलना दोनों प्रक्रियाओं से दी गई हैं अर्थात उदय में दी गई सब्सिडी को निवेश मानने के साथ एवं सब्सिडी को निवेश मानने के बिना।

इन सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश की गणना पूँजी (प्रारंभिक पूँजी को संचित हानियों के समायोजन के पश्चात बाद के वर्षों में वर्ष के दौरान

11 आरआरवीपीएनएल, आरआरवीयूएनएल और आरआरईसी।

निवेशित पूँजी का योग) एवं ब्याज मुक्त ऋण एवं ब्याज मुक्त ऋणों को घटाते हुए जोकि वर्ष के दौरान पूँजी में परिवर्तित हुए है, को सम्मिलित करते हुए की गई है।

राज्य सरकार की इन सात पीएसयूज में 31 मार्च 2018 को कुल निवेशित राशि ₹ 74710.18 करोड़ थी जिसमें पूँजी ₹ 41505.70 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 33204.48 करोड़ थी। प्रदान किये गये दीर्घावधि ऋणों में से ₹ 3537.50 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण थे जिसमें से ₹ 3065 करोड़ बाद में पूँजी में परिवर्तित किये गये। इस प्रकार, निवल ब्याज मुक्त ऋण ₹ 472.50 करोड़ (₹ 3537.50 करोड़ - ₹ 3065 करोड़) एवं पूँजी ₹ 40107.84 करोड़ (₹ 41505.70 करोड़ में से प्रारंभिक संचित हानियां ₹ 1397.86 करोड़ घटाते हुए) को मानते हुए इन सात ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में राज्य सरकार के निवेश की गणना की गई है, ऐतिहासिक लागत पर वर्ष 2017-18 के अंत में निवेश ₹ 40580.34 करोड़ था। निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए क्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.7 निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष	ऐतिहासिक लागत के आधार पर पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा धन का निवेश (₹ करोड़ में)	वर्ष के लिए कुल आय/ हानियां[12] (₹ करोड़ में)	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
2013-14	20454.17	-15893.55	-77.70
2014-15	24210.23	-14890.91	-61.51
2015-16	32614.70	-12063.88	-36.99
2016-17	36730.42	-1585.95	-4.32
2017-18	40580.34	2985.46	7.36

सात ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान -77.70 प्रतिशत से -4.32 प्रतिशत के मध्य था। यद्यपि, यह 2017-18 के दौरान उदय योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त होने से तीन डिस्कॉम्स की आय बढ़ने के कारण, यह सुधरकर 7.36 प्रतिशत हो गया।

(ब) निवेश के वर्तमान मुल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

1.11 सरकार द्वारा **सात ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों** में महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। राजस्थान सरकार के राज्य पीएसयूज में निवेश की ऐतिहासिक लागत की तुलना में निवेश की वर्तमान मूल्य की प्रतिफल की दर का पता लगाने के लिए सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। निवेश की ऐतिहासिक लागत को प्रत्येक वर्ष के अंत में 31 मार्च 2018 तक वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, पूर्व निवेश/वर्षवार राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज में डाला गया धन को वर्षवार सरकारी उधार की औसत ब्याज दर जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार की धन की न्यूनतम लागत है, पर चक्रवृद्धि किया गया है। इस

12 संबंधित वर्ष के वार्षिक लेखों के अनुसार।

प्रकार, राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना इन कम्पनियों की स्थापना से 31 मार्च 2018 तक की गई है, जहां पर राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेश किया गया है। यद्यपि, इन सात पीएसयूज में निवेश पर प्रतिफल केवल वर्ष 2017-18 के दौरान धनात्मक था। इसलिए, निवेश पर प्रतिफल की गणना केवल वर्ष 2017-18 के लिये की गई है एवं पीवी के आधार पर उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए एवं इस तरह की सब्सिडी के बिना दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित धन राशि पर वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं से की गई है:

- राज्य सरकार के ब्याज मुक्त ऋण को सरकार द्वारा किये गये धन का निवेश माना गया है क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किसी भी मूल्य का ब्याज मुक्त ऋण नहीं चुकाया गया है। आगे, प्रकरणों में जिनमें पीएसयूज को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण बाद में पूँजी में परिवर्तित किया गया है, पूँजी में परिवर्तित ऋण का मूल्य ब्याज मुक्त ऋण के मूल्य में से घटाकर उस वर्ष की पूँजी में जोड़ा गया है। पैरा 1.10 में संदर्भित उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी को छोडकर अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिये गये धन को निवेश नहीं माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[13] के लिये राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाया जा सकता है।

इन सात कम्पनीयों ने 2013-14 से 2016-17 के दौरान हानि वहन की थी, हानि के कारण पूँजी का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। कम्पनीयों के पूँजी के क्षरण को पैरा 1.13 में टिप्पणी की गई है।

1.12 इन सात राज्य ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में स्थापना से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रुप में धन के निवेश की पीएसयूज वार स्थिति **अनुबंध-2** में इंगित की गई है। इन सात राज्य पीएसयूज में इनकी स्थापना से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये राज्य सरकार के निवेश की पीवी एवं कुल लाभदायकता की समेकित स्थिति नीचे की तालिका में दी गई है:

13 सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राजस्थान सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] * 100।

तालिका 1.8: 2000-01 से 2017-18 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का शुद्ध वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण[14]	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल लाभ[15]
i	ii	iii	iv	v	vi= iii+iv-v	vii	viii=ii+vi	ix= {viii*(1+ vii)/100}	x={viii*vii) /100}	xi
2000-01	-	380.38[16]	-	-	380.38	10.50	380.38	420.32	39.94	0.36
2001-02	420.32	363.00	-	-	363.00	10.50	783.32	865.57	82.25	0.60
2002-03	865.57	338.43	-	-	338.43	10.00	1204.00	1324.40	120.4	0.70
2003-04	1324.40	282.76	-	-	282.76	9.60	1607.16	1761.45	154.29	1.38
2004-05	1761.45	350.00	200.00	-	550.00	9.10	2311.45	2521.79	210.34	13.08
2005-06	2521.79	630.60	150.00	-	780.60	8.20	3302.39	3573.19	270.8	5.38
2006-07	3573.19	694.00	150.00	-	844.00	8.30	4417.19	4783.81	366.62	8.31
2007-08	4783.81	1063.00	150.00	-	1213.00	8.00	5996.81	6476.56	479.75	13.65
2008-09	6476.56	1336.00	250.00	-	1586.00	7.70	8062.56	8683.38	620.82	-1338.81
2009-10	8683.38	1280.00	170.00	-	1450.00	7.70	10133.38	10913.65	780.27	-813.84
2010-11	10913.65	1540.29	0.00	-	1540.29	7.70	12453.94	13412.89	958.95	-21334.91
2011-12	13412.89	2474.71	995.00	1070.00	2399.71	7.70	15812.60	17030.17	1217.57	-19920.34
2012-13	17030.17	3848.00	1000.00	-	4848.00	7.40	21878.17	23497.15	1618.98	-12479.34
2013-14	23497.15	3878.00	0.00	-	3878.00	7.30	27375.15	29373.54	1998.39	-15893.55
2014-15	29373.54	4249.21	236.25	729.40	3756.06	7.50	33129.60	35614.32	2484.72	-14890.91
2015-16	35614.32	9433.82	236.25	1265.60	8404.47	6.70	44018.79	46968.05	2949.26	-12063.88
2016-17	46968.05	4115.72	0.00	-	4115.72	7.60	51083.77	54966.14	3882.37	-1585.95
2017-18	54966.14	3849.92	0.00	-	3849.92	7.30	58816.06	63109.63	4293.57	2985.46
कुल		**40107.84**	**3537.50**	**3065.00**	**40580.34**					

14 2004-2005 एवं 2009-10 के मध्य प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण ₹ 1070 करोड़ 2011-12 में पूंजी में परिवर्तित हुआ, 2011-12 में प्राप्त ₹ 995 करोड़ 2015-16 में पूंजी में परिवर्तित हुआ एवं 2012-13 में प्राप्त ₹ 1000 करोड़ का समयोजन 2014-15 (₹ 729.40 करोड़) एवं 2015-16 (₹ 270.60 करोड़) के दौरान राजस्थान सरकार के बकाया के विरूद्ध समयोजन किया गया।

15 वर्ष के लिए कुल आय संबंधित वर्ष के लिए सात ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, के शुद्ध आय (लाभ/हानि) को दर्शाता है।

16 यह राजस्थान सरकार द्वारा निवेशित निवल निवेश/पूंजी को संचित हानियो को घटाने के पश्चात दर्शाता है। आरएसईबी को पांच कम्पनियों में विभाजित करने में कुल व्यय ₹ 376.73 करोड़ (अर्थात पूँजी ₹ 1774.59 करोड़ – आरएसईबी की संचित हानियां ₹ 1397.86 करोड़) + ₹ 3.65 करोड़ (आरआरईसी की प्रारंभिक पूँजी)।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 2000-2001 में ₹ 380.38 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 40580.34 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने 2000-01 से पूँजी (₹ 39727.46 करोड़) एवं ब्याज मुक्त ऋण (₹ 472.50 करोड़) के रूप में धनराशि निवेश की थी। राज्य सरकार द्वारा निवेश की पीवी 31 मार्च 2018 को ₹ 63109.63 करोड़ आती है।

वर्ष 2000-2001 से 2007-08 के लिए कुल आय (लाभ/हानि) केवल एक कम्पनी अर्थात राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के निवल लाभ दर्शाती है जो कि अपने वार्षिक लेखे संबंधित वर्ष के लाभ हानि दर्शाते हुए वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतो के आधार पर बनाती है जबकि शेष पांच कंपनियां अपने वार्षिक लेखे *'ना लाभ ना हानि'* के आधार पर बनाती थी एवं आय एवं व्यय का अन्तर इस अवधि के दौरान *'राज्य सरकार से राजस्व अंतर के विरुद्ध प्राप्य आर्थिक सहायता'* के रूप में दर्शाती थी। तत्पश्चात दो[17] ओर कम्पनियों ने 2008-09 वर्ष के लिए अपने वार्षिक लेखे लाभ/हानि दर्शाते हुए वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतों के आधार पर बनाये जबकि तीन राज्य डिस्कॉम्स[18] ने अपने वार्षिक लेखे वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतो के आधार पर 2010-11 से बनाना प्रारंभ किये।

यह देखा जा सकता है कि इन कम्पनियों से संबंधित वर्ष के लिए कुल लाभ 2008-09 से 2016-17 के दौरान ऋणात्मक रहे जो कि यह दर्शाता है कि निवेशित धन राशि पर प्रतिफल अर्जित करने के स्थान पर, यह कंपनियां सरकार की धन की लागत को भी नहीं वसूल कर पाई। आगे, वर्ष 2017-18 के लिए धनात्मक कुल लाभ इन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में किये गये निवेश की न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से काफी नीचे रहा।

आगे, सरकार द्वारा तीन डिस्कॉम्स को 2016-17 में ₹ 9000 करोड़ एवं 2017-18 में ₹ 12000 करोड़ उदय योजना के अंतर्गत इन डिस्कॉम्स के बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋणों के अधिग्रहण के लिए सब्सिडी भी प्रदान की गई। यदि हम इस सब्सिडी को राज्य सरकार से प्राप्त निवेश के रूप में मानते है तो निवेश पर प्रतिफल ओर अधिक कम हो जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान ऐतिहासिक लागत पर निवेश पर प्रतिफल एवं इस निवेश का वर्तमान मूल्य, जब धनात्मक अर्जन था, उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी के साथ एवं इस सब्सिडी को न मानते हुए नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.9 राज्य सरकार के धन पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	कुल लाभ/हानि (-)	पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राजस्थान सरकार का निवेश	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश का प्रतिफल (%)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य	राज्य सरकार के निवेश पर निवेश का वर्तमान मूल्य मानने के पश्चात प्रतिफल (%)
उदय के बिना	2985.46	40580.34	7.36	63109.63	4.73
उदय के साथ	2985.46	61580.34	4.85	86376.56	3.46

17 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

18 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

वर्तमान मुल्य के आधार पर प्रतिफल ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल से कम थे जैसा कि वर्ष 2017-18 के दौरान प्रतिफल की तुलनात्मक स्थिति में दर्शाया गया है। ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल 2017-18 के दौरान 7.36 प्रतिशत था जबकि पीवी के आधार पर यह केवल 4.73 प्रतिशत था। यद्यपि, यदि हम उदय योजना के अन्तर्गत प्रदान सब्सिडी को भी निवेश मानते है, ऐतिहासिक आधार पर प्रतिफल 7.36 प्रतिशत (उदय के बिना) से घट कर 4.85 (उदय के साथ) हो जाता है एवं वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल 4.73 प्रतिशत (उदय के बिना) से घट कर 3.46 (उदय के साथ) हो जाता है।

निवल मूल्य का क्षरण

1.13 प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं संचित लाभ में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर कुल योग निवल मूल्य होता है। वास्तव में यह माप है कि क्या एक उपक्रम स्वामियों के लिए मूल्यवान है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है। इन 15 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में पूँजी निवेश के ₹ 41876.05 करोड़ की तुलना में संचित हानियां ₹ 98929.72 करोड़ थे जिससे कि ₹ 1.96 करोड़ के स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात निवल मूल्य -₹ 57055.63 करोड़ आता है **(अनुबंध-1)**। इन 15 ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों में से, मुख्य रूप से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (-₹ 22341.63 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (-₹ 22116.53 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (-₹ 20551.94 करोड़) एवं गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (-₹ 570.59 करोड़) में निवल मूल्य का क्षरण हुआ है।

2013-14 से 2017-18 के दौरान सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों (नियंत्रक कंपनियां) के प्रदत्त पूँजी संचित लाभ/हानियां एवं निवल मूल्य निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.10: 2013-14 से 2017-18 के दौरान सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित हानियां(-)	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2013-14	18459.17	-56196.61	3.48	-37740.92
2014-15	22708.38	-83109.27	1.47	-60402.36
2015-16	32142.20	-98783.01	1.2	-66642.01
2016-17	36257.92	-100581.13	2.17	-64325.38
2017-18	41505.70	-97981.51	1.96	-56477.77

राज्य सरकार द्वारा इन सात ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में 2013-18 की अवधि के दौरान भारी मात्रा में पूँजी निवेश कर लगातार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। यद्यपि, भारी मात्रा में पूँजी निवेश के पश्चात भी इन ऊर्जा कम्पनियों की संचित हानियां 2013-14 के ₹ 56196.61 करोड़ से बढ़ कर 2016-17 में ₹ 100581.13 करोड़ हो गयी एवं इन कम्पनियों में निवेशित संपूर्ण पूँजी का क्षरण हो गया। आगे, 2017-18 के दौरान, यद्यपि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा ₹ 2750.85 करोड़ का लाभ कमाया गया परन्तु इन कम्पनियों का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण ऋणात्मक (-₹ 56477.77 करोड़) था।

2013-14 एवं 2014-15 के दौरान छः[19] पीएसयूज में से, तीन[20] पीएसयूज का निवल मूल्य ऋणात्मक एवं तीन[21] पीएसयूज का निवल मूल्य धनात्मक था। आगे, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान चार[22] पीएसयूज का निवल मूल्य धनात्मक था एवं तीन[23] पीएसयूज का निवल मूल्य ऋणात्मक था। चार[24] पीएसयूज का निवल मूल्य 2013-14 से 2017-18 के दौरान घट गया जबकि यह तीन[25] पीएसयूज के संबंध में बढ़ गया।

लाभांश का भुगतान

1.14 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार (सितंबर 2004) की थी जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लाभ अर्जन करने वाली कम्पनियों को प्रदत्त शेयर पूँजी पर दस प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक था। सात ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजीगत निवेश किया गया है, अवधि के दौरान लाभांश का भुगतान निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.11: 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सात ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पीएसयूज जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश		वर्ष के दौरान लाभ कमाने वाले पीएसयूज		वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/ भुगतान		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयूज की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/ भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2013-14	6	18459.17	2	2025.95	1	1.29	0.06
2014-15	6	22708.38	2	2395.95	1	1.29	0.05
2015-16	6	32142.20	2	2933.11	1	1.29	0.04
2016-17	7	36257.92	3	12060.97	1	3.88	0.03
2017-18	7	40107.84	6	40057.84	1	1.29	0.003

19 राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड 2015-16 के दौरान अस्तित्व में आई।

20 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

21 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

22 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।

23 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

24 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

25 तीन पीएसयूज में से अर्थात राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, एक पीएसयू नामित राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड 2015-16 के दौरान अस्तित्व में आई।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, लाभ कमाने वाले पीएसयूज की संख्या दो एवं छः के मध्य थी जबकि केवल एक पीएसयू (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड) ने राजस्थान सरकार को लाभांश की घोषणा/भुगतान की थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने 2004-05 से 2007-08 के दौरान ₹ 3.07 करोड़, 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹ 5.50 करोड़ एवं 2013-14 से 2017-18 के दौरान ₹ 9.04 करोड़ का भुगतान किया।

लाभांश भुगतान अनुपात 2013-14 से 2017-18 के दौरान बहुत न्यून केवल 0.003 प्रतिशत एवं 0.06 प्रतिशत के मध्य रहा। अग्रिम विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि इनमें से किसी भी कम्पनियों ने स्थापना से 2003-04 तक किसी भी लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था। आगे, लाभांश भुगतान अनुपात राजस्थान सरकार के इन पीएसयूज में भारी मात्रा में पूँजी के निवेश के कारण 2004-05 के 4.20 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 0.003 प्रतिशत हो गया।

पूँजी पर प्रतिफल

1.15 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का माप है जिससे यह मूल्यांकन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा शेयरधारकों की निधि का उपयोग लाभों के सृजन करने में किस प्रभाव से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी में की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संस्थायें है।

कम्पनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियां एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो हितधारको के पास कितना शेष रहेगा। एक धनात्मक शेयरधारकों की निधि दर्शाती है कि कम्पनी के पास अपने दायित्व के भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है जबकि ऋणात्मक शेयरधारकों की निधि का अर्थ है कि दायित्व संपत्ति से अधिक है।

पूँजी प्रतिफल की गणना सात ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण नीचे तालिका दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, से संबंधित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष के लिए शुद्ध आय/कुल अर्जन[26] (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2013-14	-15893.55	-37740.92	-
2014-15	-14890.91	-60402.36	-

26 संबंधित वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर।

2015-16	-12063.88	-66642.01	-
2016-17	-1585.95	-64325.38	-
2017-18	2985.46	-56477.77	-

मार्च 2018 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान जैसा कि उपरोक्त तालिका में दृष्टिगत होता है कि शुद्ध आय केवल 2017-18 के दौरान धनात्मक थी, यद्यपि, सभी पांच वर्षों के दौरान शेयरधारकों के निधि ऋणात्मक थी। 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान शुद्ध आय एवं सभी वर्षों का शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक होने के कारण इन पीएसयूज के संबंध में आरओई की गणना नहीं की जा सकती है। यद्यपि, ऋणात्मक शेयरधारकों की निधि यह इंगित करती है कि इन पीएसयूज के दायित्व सम्पत्ति से अधिक है एवं शेयरधारकों को प्रतिफल देने के स्थान पर शेयरधारकों पर ऋण हैं।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.16 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी कार्यरत पूँजी से मापता है।

आरओसीई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[27] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान **समस्त 15 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के आरओसीई** का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2013-14	-4371.23	39453.92	-11.08
2014-15	-6172.47	42466.49	-14.53
2015-16	52.33	40045.85	0.13
2016-17	6143.70	53387.20	11.51
2017-18	18554.01	51204.77	36.23

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन राज्य पीएसयूज का आरओसीई -14.53 *प्रतिशत* से 36.23 *प्रतिशत* की सीमा के मध्य रहा। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में, राजस्थान सरकार से उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिड़ी (2016-17 के दौरान ₹ 9000 करोड़ एवं 2017-18 के दौरान ₹ 12000 करोड़) को आय मानने के कारण डिस्कॉम्स की आय असाधारण रूप से बढ़ने के कारण इसमें भारी मात्रा में बढ़त हुई।

27 नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियां - स्थगित राजस्व व्यय आंकडे पीएसयूज के नवीनतम वर्ष जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, के अनुसार है।

कंपनियो के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

1.17 पीएसयूज जिनमे 2013-14 से 2017-18 के दौरान ऋण थे, में दीर्घावाधि ऋणों का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार , बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की सेवा करने के लिए कम्पनीयों की क्षमता का मूल्यांकन किया गया है। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण आवर्त अनुपात के माध्यम से किया गया है

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.18 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) से पहले कम्पनी की आय को उसी अवधि के ब्याज स्वर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों जिनमें ब्याज का भार था, में ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.14: ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	कम्पनियों की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण का भार था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2013-14	8306.95	-4371.37	10	2	8[28]
2014-15	10012.47	-6173.33	10	2	8[28]
2015-16	12253.94	49.88	8	2	6[29]
2016-17	7956.29	6132.58	8	3	5[30]
2017-18	15734.07	18541.34	8	6	2[31]

28 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड, लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड, पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

29 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

30 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड तथा गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड।

31 बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड तथा गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड।

वर्ष 2017-18 के ब्याज में अक्टूबर 2015 से मार्च 2018 तक का ₹ 7237.92 करोड़ का ब्याज सम्मिलित है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा डिस्कॉम्स को उदय योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के ऋणों के दायित्व से मुक्त करने के लिए दिये गये ऋण के लिए वसूल किया गया है।

यह देखा गया कि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में, जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है की संख्या 2013-14 में दो से बढ़कर 2017-18 में छः हो गई।

ऋण आवर्त अनुपात

1.19 गत पांच वर्षों के दौरान, 15 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के टर्नओवर में 17.13 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि एवं ऋणों में 8.42 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे की ऋण आवर्त अनुपात 2013-14 में 1.98 से सुधर कर 2017-18 में 1.35 हो गया जैसा की निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.15: ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों से संबंधित ऋण आवर्त अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार एवं अन्य (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं) से ऋण	58815.16	67511.83	81440.44	89378.68	75339.36
टर्नओवर	29680.74	36523.38	42663.02	48768.95	55605.46
ऋण आवर्त अनुपात	1.98:1	1.85:1	1.91:1	1.83:1	1.35:1

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

1.20 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय योजना) प्रारंभ (20 नवंबर 2015) की। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

संचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना

1.20.1 भागीदार राज्यों को विभिन्न लक्षित गतिविधियां जैसे फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (डीटी) की अनिवार्य मीटरिंग, कंज्यूमर इंडेक्सिंग एवं हानियों की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मर या मीटरों का उन्नयन या बदलना, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से मांग पक्ष का प्रबंधन (डीएसएम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण, बिजली की चोरी की जांच करने के लिए व्यापक आईईसी अभियान, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहां संचालन क्षमता में सुधार के लिए एटीएंडसी घाटे को कम किया गया है आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके जैसे फीडर एवं डीटी स्तर पर हानियों

को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना आदि । परिचालन सुधारों के परिणाम संकेतकों के माध्यम से मापे जाने थे जैसे कि वर्ष 2018-19 में एमओपी एवं राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिए गए हानियों की कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार एटी एंड सी हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व के बीच अंतर में कमी करके 2018-19 तक शून्य करना ।

वित्तीय बदलाव के लिए योजना

1.20.2 भागीदार राज्यों को 30 सितंबर 2018 तक 75 प्रतिशत डिस्कॉम्स के ऋण के अधीनीकरण की आवश्यकता थी, यानी 2015-16 में 50 प्रतिशत एवं 2016-17 में 25 प्रतिशत। वित्तीय बदलाव के लिए योजना में अन्य बातों के साथ प्रावधान था कि:

- राज्य 'गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एसएलआर) ऋणपत्र' जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम्स में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसके बदले में बैंकों/वित्तीय ऋण की राशि का निर्वहन करेगा। जारी किए गए ऋणपत्रों की 10-15 साल की परिपक्वता अवधि होगी, जिसमें 5 साल तक मूलधन चुकाने की छूट होगी।
- डिस्कॉम का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता में लिया जाएगा, इसके बाद उच्च लागत वाले ऋण को लिया जाएगा ।
- 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम को हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा जो कि तीन वर्षों में डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तांतरण के साथ विस्तारित किया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय योजना का कार्यान्वयन

1.20.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण आगे दिया गया है:

अ. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि

उदय योजना के तहत तीन राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदंडों के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

तालिका 1.16: मापदण्डवार उपलब्धियां एवं लक्ष्य के बारे में 30 सितम्बर 2018 तक संचालन निष्पादन

उदय योजना का मापदण्ड	उदय स्कीम के तहत लक्ष्य	उदय स्कीम के तहत प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर मीटरिंग (संस्था में)	2521	3658	100

वितरण ट्रांसफार्मर्स की मीटरिंग (संस्था में)			
शहरी	60166	16842	28
ग्रामीण	3486	0	0
फीडर पृथक्करण (संस्था में)	4357	724	17
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संस्था में)	26821	20248	75
असंबंध घरों में विद्युत (संस्था लाखों में)	11.40	16.53	100
स्मार्ट मीटरिंग (संस्था में)	49849	7953	16
एलईडी उजाला का वितरण (संस्था लाखों में)	34.50	48.78	100
एटीएंडसी हानियां (प्रतिशत में)	20.40	26.01	0
एसीएस-एआरआर में अंतर (₹ प्रति यूनिट)	-0.27	-0.30	100
शुद्ध आय या लाभ/हानि अनुदान सहित(₹ करोड में)	829.64	1197.94	100

स्रोतः ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार उदय योजना के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य कार्ड।

राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में डीटी की मीटरिंग के लिए कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है, उसने स्मार्ट मीटरिंग एवं फीडर पृथक्करण के क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन किया है जबकि फीडर मीटरिंग, असंबद्ध घरों में विद्युत प्रदान करना एवं एलईडी का वितरण के मामले में इसका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है । इसके अतिरिक्त, प्रगति की वर्तमान प्रवृत्ति से गुजरते हुए, राज्य को 2018-19 तक एटीएंडसी नुकसान को 15 प्रतिशत तक कम करने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा । भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 30 सितंबर 2018 तक उदय योजना के तहत तीनों राज्य डिस्कॉम्स द्वारा की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर, राजस्थान राज्य सभी राज्यों में चौथे स्थान पर रहा।

ब. वित्तीय टर्नअराउंड का कार्यान्वयन

1.20.4 राजस्थान सरकार (जीओआर) ने उदय स्कीम का लाभ लेने के लिए ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, को सैद्धांतिक सहमति (07.12.2015) दे दी थी। तत्पश्चात, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं संबंधित राज्य डिस्कॉम्स (अर्थात जेवीवीएनएल/जेडीवीवीएनएल/एवीवीएनएल) के मध्य त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर (27 जनवरी 2016) किए गए । उदय योजना एवं त्रिपक्षीय एमओयू के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को तीन राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 83229.90 करोड़) में से राजस्थान सरकार ने 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 62421.95 करोड़ के कुल ऋण का अधिग्रहण कर लिया था। जिसके विरुद्ध राजस्थान सरकार ने उसी अवधि के दौरान ₹ 8700 करोड़ की पूँजी प्रदान की एवं ₹ 9000 करोड़ का अनुदान दिया जिसका विवरण निम्न दिया गया है:

तालिका 1.17: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूँजी निवेश	ऋण	सब्सिडी	कुल
2015-16	5,700.00	34,349.77	-	40,049.77
2016-17	3,000.00	10,372.19	9,000.00	22,372.19
कुल	**8,700.00**	**44,721.96**	**9,000.00**	**62,421.96**

2017-18	3,000.00	(-)15,000.00	12,000.00	-
31 मार्च 2018 को स्थिति	**11,700.00**	**29,721.96**	**21,000.00**	**62,421.96**

शेष राशि ₹ 44721.95 करोड़ जिसे उदय स्कीम के अंतर्गत ऋण के रूप में दिया गया था, को तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में पूँजी एवं अनुदान में परिवर्तित किया जाना था। इस राशि के विरुद्ध, राजस्थान सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ 3000 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 12000 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जबकि शेष ऋण राशि को बाद के वर्षों में राजस्थान सरकार की बजट स्वीकृति के अनुसार परिवर्तित किया जाना था। राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2015 से मार्च 2018 की अवधि के लिए उदय योजना के अंतर्गत अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के ऋण दायित्व चुकाने के लिए दिये गये ऋण पर ₹ 7237.92 करोड़ का ब्याज भी वसूल किया था।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणिया

1.21 पंद्रह ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों ने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान अपने 15 लेखा परीक्षित लेखों को महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से सात लेखों को अनुपूरक लेखा परीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दर्शाती हैं कि लेखों की गुणवत्ता में सारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। 2015-18 के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 1.18: लेखा परीक्षा टिप्पणियों का ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	1	0.23	5	51.95
2.	लाभ में वृद्धि	2	7.22	-	-	2	1169.71
3.	हानि में वृद्धि	4	710.73	1	15.23	1	10.32
4.	हानि में कमी	2	202.32	2	16.82	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	-	-	-	-	2	28.35
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	4	347.83	3	249.81	4	385.18

स्रोत: सरकारी कम्पनियों के संबंध में वैधानिक लेखा परीक्षकों / सी एंड एजी की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017-18 के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने आठ लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किए थे। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने चार लेखों में लेखा मानकों के अनुपालन न करने के 12 उदाहरणों का उल्लेख किया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

1.22 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन के भाग- I के लिए, एक निष्पादन लेखा परीक्षा 'अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा' एवं ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित पांच अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो गये है (दिसंबर 2018) एवं इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाहित कर लिये गये हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 309.05 करोड़ है।

लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्त्ती कार्यवाही

1.23 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/व्यास्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (जुलाई 2002) किये थे। ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार ने समस्त अनुच्छेदों पर व्यास्यात्मक टिप्पणियां अग्रेषित कर दी है।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.24 30 सितंबर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.19: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितंबर 2018 तक चर्चा किये गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2015-16	1	2	1	2
2016-17	1	5	-	-

स्रोतः लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित

2015-16 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) पर चर्चा पूरी हो गई है।